न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

नारायणलाल लढा v/s काना

415/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2024	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2024 / 2206 दिनांक 16.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :– ग्राम सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील भीलवाडा 1. नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा, खातेदार के आराजी नम्बर 1494 / 2 रकबा 0.2023 हैक्टेयर रहेगी। 2. काना पुत्र कालू कीर, मधुदेवी पत्नी अशोक कुमार आगाल सा0 सांगानेर खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :– आराजी नम्बर 1494 / 1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर रहेगी। उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। Sd/- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा	

वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
415 / 2024	30.07.2024	16.08.2024

उनवान

नारायण लाल आत्मज श्री केदार लाल लढा निवासी 2 एफ 11 आर सी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०) —— वादी

बनाम

श्री काना पुत्र कालु कीर, निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा।
श्रीमती मधु देवी पत्नी श्री अशोक कुमार आगाल, निवासी बडे मन्दिर के पास सांगानेर, तहसील व जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

——प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. वादी अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की और से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या से लगायत 02 उपस्थित नहीं। प्रकरण में – इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन धिकारी अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री जाती है :–

म सांगानेर पटवार हल्का सांगानेर तहसील भीलवाडा

नारायणलाल पुत्र केदारलाल लढा साकिन आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा, खातेदार के आराजी नम्बर 1494 / 2 रकबा 0.2023 हैक्टेयर रहेगी।

काना पुत्र कालू कीर, मधुदेवी पत्नी अशोक कुमार आगाल सा0 सांगानेर खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :–

आराजी नम्बर 1494 / 1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल मद कार्यवाही करें।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा